यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, काशीपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, काशीपुर के माह 04.2013 से 06.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30.07.2018 से 02.08.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

<u>भाग</u>-।

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री पी सी श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री कुलदीप कौल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25.04.13 से 29.04.13 तक श्री एस॰ के॰ त्यागी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2010 से 03/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई द्वारा रोजगार परक व्यवसायो जैसे फिटर, कोपा आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा कौशल दक्षता हेतु निकटवर्ती स्थानो मे विभिन्न कम्पनियो/ प्रतिष्ठानो मे सम्पर्क कर अप्रेंत्सिप हेतु भेजा जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे तहसील काशीपुर एवं अधीन संचालित आईटीआई के क्षेत्र शामिल है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2013-14	शून्य	शून्य	203.00	202.93	14.56	13.91	-	0.71
2	2014-15	शून्य	शून्य	236.79	232.48	35.91	32.38	-	7.84
3	2015-16	शून्य	शून्य	256.54	243.09	57.14	41.17	-	29.42
4	2016-17	शून्य	शून्य	321.46	272.57	70.01	26.48	-	92.42
5	2017-18	शून्य	शून्य	350.02	344.05	32.33	29.33	-	8.97
6	2018-19	शून्य	शून्य	310.19	87.44	30.21	8.14	-	-

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2013-14	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
2014-15	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
2015-16	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
2016-17	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
2017-18	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
2018-19	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, काशीपुर

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 04.2013 से 06.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, काशीपुर** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, काशीपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 01.2015 एवं 03.2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग - 2 'ब'

प्रस्तर:1- रु 114.10 लाख के निर्माण कार्यों में आई.एम.सी. द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन न किया जाना।

कार्यालय प्रधानाचार्य आईटीआई (युवक) के नियंत्रणाधीन संचालित आईटीआई, जसपुर की केंद्र सरकार की योजना 'सार्वजनिक - निजी भागीदारी से उच्चीकरन के अंतर्गत 114.10 लाख के कराये गए सिविल वर्क पत्रावली की जांच की गयी । जांच में भवन निर्माण के कार्य तीन फेज में पूरी करायी गयी जिसके विवरण निम्नवत पाये गए -

(रु लाख में)

क्रम सं	**ठेकेदार का विवरण**	**आवंटित लागत**	**कार्य विवरण**	**आवंटित अवधि**
1.	M/S Rafiuddin, Jaspur Tender No.IMCJPR/2, 16/9/13	20.00 lakh	Balance construction work of Ground floor, electrification work sanitation work	11.10.13
2.	M/S Nazim Ali, Jaspur Tender No.03 Dated 10.04.14	39.10 lakh	Construction work of first floor at IMC ITI, Jaspur	24.04.15
3.	M/S Alliance Engineers India Meerut,UP Tender No.06 Dated 14.07.11	55.00 lakh	Construction of workshop/classroom, Ground floor, Ist floor at IMCITI, Jaspur	21.07.11
	TOTAL	114.10 lakh		

उक्त कार्य के संचालन के लिए गठित इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी को वितीय अधिकार प्रदत करते हुये जारी गाइडलाइन के मुख्य अंश निम्नवत पाये गए -

1.गठित समिति में सचिव तथा अध्यक्ष के अतिरिक्त मनोनीत सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष प्राइवेट पार्टनर से तथा सचिव सार्वजनिक पार्टनर से जो प्रायः औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य होंगे तथा शासकीय दिशानिर्देशन के क्रियान्वयन में सचिव की भागीदारी की प्रमुखता होगी।

2.वित्तीय तथा अधिप्राप्ति(Procurement) प्रक्रिया आईएमसी गाइडलाइंस में उल्लेखित पैरा के अनुरूप होगी ।

3.समिति की लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा निस्पादित करायी जाएगी तथा ऐसे अभिलेखों तक पहुँच का प्राधिकार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को भी होगी।

संचालित आईटीआई जसपुर में कार्यरत समिति द्वारा सिविल कार्यों के निस्पादन में वित्तीय नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किए जाने का प्रकरण पाया गया। गाइडलाइंस में सिविल कार्य निस्पादित कराने के शासकीय एजेंसी अथवा कंसल्टेंट तथा आउटसोर्से सेवा दोनों विकल्प निर्देशित थे, परंतु समिति ने निजी कंसल्टेंट तथा आउटसोर्से सेवा से सिविल कार्य का निस्पादन कराने का निर्णय लिया। यह निर्णय तब संभव था जब शासकीय वयवस्था में कार्य हेतु अपेक्षित Expertise न हो जिसे करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी (भारत सरकार) की अनुमति आवश्यक थी (समान्य वित्तीय नियमावली-165) जिसे लेखा परीक्षा में नहीं पाया

गया। कार्य रु 25.00 लाख से ऊपर होने के कारण Expression of Interest (EOI) के तहत व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन देते हुये कंसल्टेंट से प्राप्त Technical तथा Financial Bids का समिति द्वारा गठित Consultancy Evaluation Committee (CEC) द्वारा तकनीकी स्वीकृति का परीक्षण कराकर तद्पश्चात Financial Bids की जांच में सफल बोलीदाता को Consultancy Contact के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए था (GFR - 174 & 175) तथा आईएमसी समिति द्वारा कंसल्टेंट तथा ठेकेदारों के कार्यों का निरंतर अनुश्रवण (GFR-177,185) किया जाना चाहिए था। परंतु, ऐसा किया जाना लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया तथा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों में कंसल्टेंट का आगणन का तकनीकी परीक्षण नियमानुसार न कराकर समिति के स्तर से निम्नतर दर को आधार बनाकर स्वोकृति प्रदान कर दी गयी। रु 20.00 लाख की निविदा सूचना दैनिक जागरण कुमाऊँ संस्करण, रु 39.10 लाख की निविदा सूचना दैनिक जागरण तथा रु 55.00 लाख की निविदा सूचना हिंदुस्तान में प्रकाशित की गई जिसका परिचालन नियमानुसार राष्ट्रीय अखबार में किया जाना चाहिए था जो लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया। आगे पाया गया की रु 20.00 लाख के प्रकाशित निविदा प्रकरण की शर्तों में बाद में बिना ठोस कारण के हैसियत प्रमाणपत्र तथा वर्ग श्रेणीकरण प्राप्त करने में शिथिलता प्रदान की गयी तथा ठेकेदार के अंतिम चयन में समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर रिक्त पाये गए। रु 39.10 लाख के प्रकरण में निविदा शर्तों की अनदेखी कर निर्धारित श्रेणीकरण का नज़रअंदाज़ कर तथा बिना हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त किए स्थानीय ठेकेदार को कार्य आवंटित कर दिया गया।

इस और इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भवन आईएमसी कि देखरेख में भवन निर्माण कराया गया कोई अलग से कमेटी गठित नहीं थी। प्राप्त उत्तर के सापेक्ष लेखापरीक्षा पुनः औटसोर्स पर कार्य करने का विकल्प का कारण तथा नियमानुसार इस संबंध में भारत सरकार से अनुमति विषयक प्रश्न, प्राइवेट कार्य की स्थिति में Consultation Evaluation Committee गठन तथा नियमानुसार निजी सेवा की स्थिति मे कंसल्टेंट एवं ठेकेदारों के कार्यों का निरंतर मोनिट्रिंग, प्रकरणो मे नियमो का उल्लंघन कर स्थानीय ठेकेदारों के बीच मात्र प्रतिस्पर्धा कराना, ठेकेदारों से अपेक्षित श्रेणीकरण तथा हैसियत प्रमाणपत्रों में अकारण शिथिलता प्रदान करना विषयक स्पष्टीकरण मांगा गया जिसके प्रतियुत्तर मे इकाई यह कहकर समस्त बिन्दु पर मौन रही की आईएमसी कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया।

उत्तर मान्य नहीं, गाइडलाइंस के अनुसार शासकीय दिशानिर्देशन के क्रियान्वयन मे सचिव की भागीदारी की प्रमुखता होगी परंतु लागू समस्त वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुये रु 20.00 लाख एवं रु 39.10 लाख के प्रकरण मे मनमाने ढंग से स्थानीय ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया| नियमसंगत प्राइवेट कंसल्टेंट तथा ठेकेदार का मानिटरिंग न होने से निर्मित भवन में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। जब शासकीय एजेंसी के पास Expertise उपलब्ध था अथवा नहीं, बिना तलाशे वित्तीय नियमों के बारीकियों को ध्यान में न रखते हुए निजी क्षेत्र को कार्यदेश के तहत कार्य आबंटित करना इरादतन को दर्शाता है, जो उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम-74 के मानदंडो का भी स्पष्टतया उल्लंघन है।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग - 2 'ब'</u>

प्रस्तर:2- ब्याज रहित ऋण रु 2.50 करोड़ से संचालित योजना की प्रगति धीमी पाया जाना ।

कार्यालय प्रधानाचार्य, आईटीआई (युवक) काशीपुर की अभिलेखों की जांच में पाया गया की उक्त आईटीआई के अंतर्गत संचालित केंद्र सरकार की पीपीपी मोड योजना के माध्यम से उच्चीकारण के अंतर्गत गठित इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी (आईएमसी) को वित्तीय अधिकार प्रदत करते हुय आईटीआई, जसपुर का चयन किया गया जिसे प्रयोजन को पूरा करने के लिए वर्ष 2009-10 में रु 2.50 करोड़ ऋण अवमुक्त किया गया। गाइडलाइंस में वर्णित तथ्यों से यह बातें प्रकाश में आई की पीपीपी मोड स्कीम उन ITIs के लिए थी, जो पूर्व में संचालित थे तथा योजना के तहत उच्चीकारण के माध्यम से पूर्व में चल रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण को स्थानीय मांग के अनुसार सुदृढ़ बनाकर रोजगारपरक बनाया जाना था । परंतु, आईटीआई, जसपुर का चयन के समय संस्थान में मात्र एक कोर्स डाटा इंट्री आपरेटर का संचालन हो रहा था तथा संस्थान का अपना भवन मौजूद नहीं था। भवन निर्मित होने के पूर्व वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक अपग्रेडेसन एवं नए व्यवसाय हेतु क्रय किए गए मशीन-टूल्स अक्रियाशील पाये गए तद्पश्चात वर्ष 2015-16 में निर्मित नए भवन में अपग्रेडेसन का कार्य प्रारम्भ करना पाया गया जिसमें योजना का मुख्य उददेश्य कोर्स का अपग्रेडेसन पर फोकस था , परंतु एक मात्र कोर्स डाटा इंट्री ऑपरेटर का संचालन होने के कारण अपग्रेडेसन की जगह योजना के उददेश को प्रभावित करते हुये वर्ष 2015-16 से समस्त नए कोर्स का संचालन पाया गया जिसे प्रारम्भ करने में 05 वर्ष की अवधि व्यतीत कर दी गयी ।

इस और इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि संस्थान का निजी भवन बनने के बाद ही अपग्रेडेसन एवं नई व्यवसाय खोलेने एवं SCVT में चलाने की अनुमति ली जा रही है ।

उत्तर संतोषजजक नहीं पाया गया, दिशानिर्देशन में धन प्राप्ति के अगले वित्तीय वर्ष तक राशि प्रयुक्त करने की बात कही गयी थी । परंतु धनराशि प्राप्त होने के बावजूद भवन निर्माण में तत्परता न होने के कारण 05 वर्ष की अवधि बीत गयी । इस संबंध में आईएमसी मीटिंग की भी समय निर्धारण निर्देशित किया जाना पाया गया, परंतु इकाई द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था तथा 01 वर्ष से (पिछली बैठक अगस्त,17) समिति की कोई बैठक संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं पायी गयी ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग - दो (ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>:-3- विभागीय उदासिनता के कारण स्वीकृत धनराशि समय से जारी नही होने के कारण लागत वृद्धि।

शासनादेश 509(1)/VIII/08-62-प्रशि॰/2005, दिनाक 12.02.2008 द्वारा राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान महुआडाबरा, जसपुर हेतु स्वीकृत धनराशि रु 200.05 लाख सिविल/ भवन निर्माण (प्रशासनिक भवन, कार्यशाला -02नग तथा 09 आवासीय भवन निर्माण) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसके सापेक्ष धनराशि रु 25.00 लाख प्रथम किस्त के रुप मे वर्ष 2008 मे अवमुक्त किया गया। निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उत्तरांचल पेयजल निर्माण निगम का चयन किया गया। समय समय पर विभिन्न शासनादेशों के द्वारा क्रमश रु 10.00 लाख - 02/2011, रु 50.00 लाख - 06/2011, रु 25.00 लाख - 12/2012, मे कार्यदायी संस्था को अवमुक्त कि गयी थी कार्यदायी संस्था को अंतिम किस्त रु 90.50 लाख 4 वर्ष के उपरान्त शासनादेश 578/XLI-1/2014-62/प्रशि॰/05, दिनांक 31.12.2014 द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किया गया। उक्त धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग किए जाने के पश्चात बाउंड्रीवाल/स्थल विकास कार्य अपूर्ण अवस्था मे पाया गया। समय से धनराशि अवमुक्त नही किए जाने के कारण वर्तमान मे एजेसी द्वारा पुनरीक्षित आगणन रु 404.14 लाख शासन को प्रेषित किया गया।

लेखापरीक्षा मे अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य वर्ष 2008 मे निर्माण एजेंसी द्वारा प्रारम्भ कर दिए गए थे। नियमतः 18 माह कि अवधि के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाना चाहिए था परंतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष शासन द्वारा निर्माण एजेंसी को निर्धारित अवधि तक समस्त धनराशि जारी करने मे असमर्थ रही। जब निर्माण एजेंसी को मालूम था कि उक्त निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा पर्याप्त धन उपलब्ध नही कराया जा रहा है, ऐसी दशा मे निर्माण एजेंसी को समयवृद्धि के कारण लागत वृद्धि मे परिवर्तन का अंदेशा हो जाने के बावजूद इतनी लम्बी अवधि वर्ष 2014 तक प्रतीक्षा किए बिना शासन को इस आशय की सूचना पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत करते हुये प्रेषित करना चाहिए था परन्तु कार्यदायी संस्था लाभ के उदेश्य से स्वीकृत मूल लागत की समस्त धनराशि 2014 की अवधि तक प्राप्त करती रही तत्पश्चात शसान को 2014 के बढ़े हुए दर पर आगणन निर्मित कर शासन को प्रेषित किया जाना पूर्ण रूप से कार्यदायी संस्था को लाभ का इरादतन दर्शाता है। इस संबंध मे विभाग की भी उदासीनता पायी गयी क्योंकि विभाग को उक्त प्रकरण का विश्लेषण करने के पश्चात प्रक्ष मे आई वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट शासन को करनी चाहिए थी परन्तु ऐसा लेखापरीक्षा मे नही पाया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया कि "समय से धन मुक्त न होने के कारण आवासीय भवनों का निर्माण नही हो पाया जिसके लिए पुनरीक्षित आगणन निदेशालय को प्रेषित किया गया।

उत्तर मान्य नही क्योकि विभागीय प्रयास समय से न होने के कारण एवं पुनरीक्षित आगणन विलम्ब से प्रेषित होने के कारण निर्माण एजेंसी को समय विधि लागत वृद्धि का अवसर प्रदान किया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग - दो (ब)</u>

<u>प्रस्तर</u>:-4- धनराशि रु 16.74 लाख का अनियमित व्यय एवं 3 वर्षो से धनराशि रु 10.05 लाख के मशीनों एवं उपकरणो का अक्रियाशील पाया जाना।

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम संख्या 140 तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 10(2) के अनुसार मंत्रालयों या विभागो को सामाग्री क्रय के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करने के लिए पूरी शक्तिया प्रत्यायोजित की गयी है, तथापि यदि किसी मंत्रालय या विभाग के पास अपेक्षित विशेषज्ञ न हो अर्थात वित्त विभाग की सहमति से डीजीएसएनडी को अपना मांग पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार डीजीएसएनडी से अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता कहा जाएगा तथा नियम 12(3) के तहत यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की प्रतिस्पर्धा के आधार पर अधिक अनुक्रियाशील अधिकतम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को चिन्हित किया जाए। एसे आपूर्तिकर्ताओ को चिन्हित करने के लिए विज्ञापन, व्यापक परिचालन वाले प्रकाशनों, राष्ट्रीय समाचार पत्रो और संबन्धित आपूर्तिकर्ता के विभिन्न वेबसाइटो का उपयोग किया जा सकता है।

प्रकरण- 1:- उक्त नियमो के परिप्रेक्ष्य मे कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान काशीपुर को वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 हेतु मद संख्या-26 “मशीन और उपकरण” के तहत आबंटित बजट की स्थिति निम्नवत पायी गयी:-

वित्तीय वर्ष	**अनुदान संख्या**	**आबंटित धनराशि**	**व्यय धनराशि**	**समर्पण**
2016-17	30	9,82,317	9,22,619	59,698
2017-18	16	7,53,000	7,51,756	1,214
	योग	17,35,317	16,74,375	

उपरोक्त तालिका के अनुसार धनराशि रु 16.74 लाख का व्यय मशीन एवं उपकरण का क्रय हेतु विगत 2 वर्षो मे इकाई द्वारा विभिन्न लेखाशीर्ष/अनुदान के तहत किया गया। जांच मे पाया गया कि संबन्धित सामग्रियों/मशीनों एवं उपकरणो के क्रय पद्दति/क्रय प्रक्रिया (दर संविदा) का निर्णय उनके निदेशालय द्वारा लिया गया जिसकी पत्रावली का रखरखाव यूनिट मे अप्रस्तुत पाया गया, परन्तु डीजीएसएनडी से अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को आपूर्ति आदेश एवं उनके भुगतान की कार्यवाही यूनिट स्तर से पूरी करायी गयी। इकाई को आहरण वितरण अधिकार प्राप्त होने के बावजूद बिना क्रय पत्रावली प्राप्त किए न केवल फर्मों को भुगतान किया गया बल्कि प्राप्त मशीनों एवं उपकरणो संबन्धित कोई इनवेंटरी/ सूची का रखरखाव भी इकाई द्वारा नही किया गया। इकाई स्तर से निरीक्षण समिति का गठन किए जाने के बावजूद, उपकरणो एवं मशीनों संबन्धित कोई निरीक्षण रिपोर्ट/भौतिक सत्यापन/shortage/कमी रिपोर्ट/ technical verification रिपोर्ट आदि लेखापरीक्षा मे अप्रस्तुत पायी गयी। आगे जांच मे पाया गया कि उक्त धनराशि रु 16.74 लाख के उपकरणो एवं मशीनों के installation एवं demonstration कार्य पूर्ण किए बिना ही इकाई द्वारा संबन्धित फर्मों (लिपि एंटरप्राइज़ एवं मनु एंटरप्राइज़) को पूर्ण भुगतान किया गया। उपरोक्त नियमो के तहत डीजीएसएनडी से अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर यथासंभव अधिकतम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ

विषयक कोई अभिलेख यूनिट की लेखापरीक्षा मे नही पाया गया। मशीनों एवं उपकरणो हेतु जारी क्रय आदेशो की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि "बिन्दु संख्या- 08 payment shall be made by the Director, Training Uttrakhand after receiving the items successful installation erection, commissioning, training & technical verifications at the destination ITI level." जबकि संबन्धित धनराशि रु 16.74 लाख का भुगतान इकाई द्वारा किया गया। अतः लेखापरीक्षा मे संबन्धित भुगतान हेतु भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

प्रकरण-2:- कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, काशीपुर हेतु निदेशालय स्तर से विभिन्न चरणों मे केन्द्रीय क्रय (Central Purchase)के माध्यम से मशीनों एवं उपकरणो का क्रय किया गया। संबन्धित मशीनों एवं उपकरणो की स्टॉक पंजिका एवं इंडेंट(Indent) पंजिका की जांच मे पाया गया कि धनराशि रु 10.05 लाख की मशीनों एवं उपकरणो को संबन्धित अनुदेशकों को जारी (issue) नही किया गया, जिस कारण धनराशि रु 10.05 लाख के मशीन एवं उपकरण संस्थान मे उसकी प्राप्ति तिथि सितम्बर 2016 से निष्क्रिय पड़े हुये है तथा रु 15.95 लाख के मशीनों एवं उपकरणो को इन्स्टालेशन एवं डिमस्टेसन मे 3 से 12 माह तक का समय लिए जाने के कारण उक्त मशीनों एवं उपकरणो को अनुदेशकों को विलम्भ से प्रदान किया गए। अतः कुल धनराशि रु 26.00 लाख के मशीनों एवं उपकरण जो प्रशिक्षुओ के लाभार्थ /उपयोग हेतु क्रय किए गए थे, को अनुदेशकों को जारी नही किए जाने के कारण, प्रशिक्षुओ को प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रखा गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि संबन्धित उपकरण इस कार्यालय को निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए परंतु अपनायी गयी क्रय प्रक्रिया की संबन्धित पत्रावली का रखरखाव निदेशालय द्वारा किया गया। पीटी डीजीएसएनडी से क्रय निदेशालय के निर्देशानुसार किया गया एवं प्रकरण 2 के संदर्भ मे इकाई ने उत्तर दिया कि इन्स्टालेशन, दिमास्ट्रेशन व अनुदेशकों के स्थानांतरण के कारण व कार्यो की अधिकता होने के कारण नही हो पायी।

उत्तर मान्य नही है, क्योकि नियमतः डीजीएसएनडी से क्रय करने के पूर्व इकाई को अपेक्षित विशेषज्ञता न होने का प्रमाण पत्र के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से अपना मांग पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ मे से अधिकतम अनुक्रियाशील आपूर्तिकर्ता का चयन का प्रयास कर शासकीय हित मे निर्णय लेना चाहिए था जो लेखापरीक्षा मे नही पाया गया तथा संबन्धित मशीनों एवं उपकरणो को क्रय कर स्टाक मे रखा गया एवं प्रशिक्षुयों हेतु उपयोग मे नही लाया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
14/2010-11	1,2,3 व 4	-	1,2,3 व 4	-
65/2013-14	-	1,2	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
अनुपालन आख्या तैयार कर उचित माध्यम से प्रधान महालेखाकार को भेजा जाएगा।				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, काशीपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री जसवंत सिंह जलाल	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ काशीपुर	विगत लेखापरीक्षा से 13.07.2017 तक
श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ काशीपुर	13.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, काशीपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.